POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 21.11.2025

1. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा पी0जी0 व फ्लैट में मोबाइल फोन व लेपटॉप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 13 मोबाइल फोन, फोन व लेपटाप बेचकर प्राप्त किये 19000/- रूपये नकद व चोरी की एक मोटर साईकिल, 02 चाकू नाजायज बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा दिनांक **21.11.2025** को पी0जी0 व फ्लैट में मोबाइल फोन व लेपटॉप चोरी की घटित घटनाओ को कारित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये जयपुरिया चौराहा सेक्टर-62 नोएडा के पास से 03 अभियुक्तगण 1.समीर पुत्र सेख सफीक 2.अमन पुत्र आमीर 3.जावेद पुत्र अब्दुल हसन को **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण सलीम, अमन व जावेद का एक आपराधिक गैंग है। अभियुक्त सलीम के द्वारा अपने साथियो अमन व जावेद के साथ मिलकर पी0जी0 व फ्लैटो में सुबह के समय जब साफ-सफाई का काम चल रहा होता है व पी0जी0 व फ्लैट के कमरो का गेट खुला होता है तथा लोग अपने कामो में व्यस्त रहते है अथवा सोये रहते है उसी समय मौका पाकर अभियुक्त अमन व जावेद पी0जी0 में किसी बहाने से कमरे के अन्दर घुसकर कमरे में रखे मोबाईल फोन व लेपटॉप की चोरी करते है, तथा यह लोग समय मिलने पर चोरी की मोटर साईकिल से मोबाईल फोन भी छीन लेते है। अपने अन्य साथियो की मदद से चोरी किये गये मोबाईल फोन व लेपटॉप को पश्चिम बंगाल, बिहार व अन्य स्थानों पर भेज/बेच देते है। यह लोग चोरी की मोटर साईकिल से घटना को अंजाम देते है तथा अभियुक्त सलीम चोरी के मोबाईल फोन व गुम हुये मोबाईल फोन को सस्ते दामो में खरीद लेता है। इनके बाहर भेजने वाले चैनल के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, तथा अन्य साथियो की तलाश/गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे है, ताकि नेटवर्क को खतम किया जा सके।

उक्त गैंग के द्वारा पूर्व में की गयी घटनाओं का विवरण--

1. इनके द्वारा मोटर साईकिल डीएल 14 एसएक्स-3217 को अगस्त 2025 में शक्तिखंड-1 इंदिरापुरम गाजियाबाद से चोरी की है जिसके सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 952/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

2. ग्राम सलूरपुर नवादा सेक्टर-62 में स्थित पी0जी0 से से अलग-अलग समय पर मोबाईल व लेपटॉप की चोरी गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा मु0अ0सं0-251/2025 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0-343/2025 धारा 305(ए) बीएनएस ,
3. इनके द्वारा जे0पी0 इंस्टीटयूट से0 62, नोएडा के सामने से लेपटाप, बैग को स्नैच किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-385/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।
4. थाना क्षेत्र सेक्टर-39, नोएडा से अलग-अलग जगहो से मोबाईल छीने है जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-39, नोएडा पर मु0अ0सं0-480/2025 धारा 304(2) बीएनएस, मु0अ0सं0-468/2025 धारा 304(2) बीएनएस, व मु0अ0सं0-566/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. समीर पुत्र सेख सफीक, निवासी-ई 44 सी-160 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली।
2. अमन पुत्र आमीर निवासी मोहल्ला लुकमानपुर किरतपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश हाल पता-गली नंबर 4 जे ब्लॉक सुंदर नगरी दिल्ली उम्र 21 वर्ष।
3. जावेद पुत्र अब्दुल हसन, निवासी-3 डी-9/329 बृजपुरी मुस्तफाबाद गोकलपुरी उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास--

अभियुक्त जावेद विरूद्ध दिल्ली के विभिन्न थानो में करीब 13 मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, हत्या शामिल है तथा उ0प्र0 में विभिन्न जनपदो कुल लगभग 07 अभियोग दर्ज है।

अभियुक्त अमन के विरूद्ध हरियाण में 01 तथा उ0प्र0 में 07 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त सलीम के विरूद्ध उ0प्र0 में 07 अभियोग पंजीकृत है, इनके विरूद्ध अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जा रही है।

बरामदगी का विवरण--

1. एक चोरी की मोटर साईकिल डीएल 14 एसएक्स-3217 (फर्जी नम्बर यूपी 13 सीएन-0565)
2. विभिन्न घटनाओ से सम्बन्धित 13 मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनी के
3. लेपटॉप/मोबाइल बेचकर प्राप्त किये गये नकद 19000/- रूपये
4. दो चाकू नाजायज

2. थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर संचालित करने वाले अन्तर्राजीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फर्जी कॉल सेंटर संचालक सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सेंटर संचालन के उपकरण- 11 की पैड फोन 01 स्मार्ट फोन वीवो, 07 मोहर , 04 जॉइनिंग लेटर 04 मॉनीटर, 04 सीपीयू, 04 कीबोर्ड, 04 माउस तथा ऑफिस फोन से प्राप्त 34 स्क्रीनशॉट बरामद ।

कार्यवाही का विवरण--थाना फेस-1 पुलिस द्वारा **दिनांक 21.11.2025** को इंटेलिजेन्स व सर्विलांस टीम के माध्यम से बिल्डिंग संख्या ए 88 सैक्टर 04 के द्वितीय तल से अभियुक्त 1. अनुज कुमार पुत्र ऋषिपाल 2. रोमेश मलिक पुत्र कुंवरपाल को **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण द्वारा Foundit.com पर रुपये 30,000/- के डाटा खरीद कर अपने आपको naurkri.com के कर्मचारी बता कर बेरोजगार युवकों को नौकरी लगवाने का झाँसा देकर पैसे एठने का काम करते थे उनके द्वारा काफी बेरोजगार युवको को अपने झाँसे में लेकर रजिस्ट्रेशन फीस रु 950/- व डाक्यूमेंट वेरीफिकेश/एम्पलाएमेंट वेरीफिकेशन/फाइल सबमिशन चार्ज/प्रोफाइल फाइनलाइज चार्ज/एनओसी चार्ज के नाम पर रु 50,000/- तक गुमराह करके धनराशि प्राप्त कर लेते थे. जब कोई ज्यादा कॉल करता था तो फिर उससे बात नहीं करते थे या ब्लाक कर देते थे तथा कुछ बेरोजगार व्यक्तियों फर्जी जॉइनिंग/ऑफऱ लेटर दे देते थे। अभियुक्तगण अपनी फर्जी कम्पनी मे कॉल करने के लिए सिर्फ महिला कर्मचारी 01 माह के लिए हायर करते थे फिर एक माह के बाद उनको नौकरी से निकाल देते थे जिससे किसी को उनके काम के बारे मे जानकारी न हो सके। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व मे भी वर्ष 2017 मे हैदराबाद मे उक्त धोखाधडी का अपराध भी कारित किया है जो करीब 8-10 वर्षो से बेरोजगार युवको से पैसे ठग रहे है। जिसके सम्बन्ध मे थाना सीसीएस हैदराबाद मे मु0अ0स0 153/2017 धारा 419/420 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. अनुज कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम हसनपुर रजापुर थाना सरुरपुर जिला मेरठ 33 वर्ष हाल पता बी 850 चर्च वाली गली थाना अशोकनगर दिल्ली

2. रोमेश मलिक पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम लिसाढ हसनपुर थाना कोतवाली शामली जिला शामली उम्र 24 वर्ष हाल पता बी 850 चर्च वाली गली थाना अशोकनगर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 475/2025 धारा 318(4)/319(2)/336(3) बीएनएस 66 डी आईटी एक्ट थाना फेस-1 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त अनुज कुमार का अपराधिक इतिहास--

1- मु0अ0स0 153/2017 धारा 419/420 भादवि थाना सीसीएस हैदराबाद आन्ध्रप्रदेश।

2- मु0अ0सं0 475/2025 धारा 318(4)/319(2)/336(3) बीएनएस 66 डी आईटी एक्ट थाना फेस-1 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

11 की पैड मोबाईल फोन

01 स्मार्ट फोन वीवो,

07 स्टांप मोहर

04 जॉइनिंग लेटर

04 कम्प्यूटर मॉनिटर

04 सीपीयू

04 कीबोर्ड

04 माउस

34 स्क्रीनशॉट ऑफिस फोन से प्राप्त